न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 79/2018

1. घनश्याम पुत्र गोरधन जाति बैरवा निवासी मान्यापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

1. राधेश्याम
2. सुनील
3. चन्दर
4. पिन्टू पिसरान गोरधन
5. राजू लाल पुत्र घुडया
6. धोडी पुत्री घुडया
7. भौती बेवा घुडया
8. शंकर पुत्र गंगोल्या
9. भरतु पुत्र शंकर
10. प्रेम राज पुत्र शंकर
11. बाबू पुत्र बदरी
12. दिनेश पुत्र बदरी
13. हेमराज पुत्र बदरी समस्त जातियान बैरवा निवासीयान मान्यापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली ।
14. तहसीलदार, तहसील सपोटरा, जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा मु0न0 51/2012 निर्णय दिनांक 26.04.2018 उनवानी घसीडा बनाम घनश्याम बगै0)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री श्याम मोहन शर्मा एड.
2. रेस्पो0 की ओर से श्री जगदीश शर्मा एड0

निर्णय दिनांक 15.12.2020

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 51/2012 निर्णयं दिनांक 26.04.2018 उनवानी घसीडा बनाम घनश्याम बगै0 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 298 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम बलुआपुरा तहसील सपोटरा जो कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ही। प्रतिवादीगण का इस आराजी से दूर [illegible] कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादीगण सहजोर, ताकत एवं ल[illegible] के असामाजिक तत्वों को अपने साथ लेकर लाठी के बल [illegible] अवैध कब्जा करने पर आमादा है। दिनांक 02.08.2012 को वादी अपनी उक्त आ[illegible] में ट्रेक्टर से जोत निकल[illegible] रहा था तो अचानाक प्रतिवादीगण हाथों में लाठी गंडासी लेकर मेरी आराजी पर आ गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

और ट्रेक्टर को रोक दिया, वादी ने जब उनसे मना किया तो माँ, बहन की फोस फोस गालिया देने लग गये। वादी ने प्रतिवादीगण को हाथ जोडकर कहा कि आप ऐसा मत करो लकिन प्रतिवादीगण ने एक नही सुनी तथा कहने लगे कि हम तेरी जमीन पर अवैध कब्जा करके रहेगें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता तथा प्रतिवादीगण आमादा फिसाद पर उतारू हो गये। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वादपत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित हो कर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

15.12.20
अपील प्राधिकारी
माधोपुर

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री रूहेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। तहत न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित किया है तथा उक्त प्रकरण में दावे व जवाब दावे के आधार पर कुल 4 तनकीयात कायम की है। इसमें प्रथम तनकी वादीगण/रेस्पो0 के पक्ष में तथा द्वितीय व तृतीय तनकी भी वादीगण/रेस्पो0 के पक्ष में पारित की है। तहत न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की कोई तुलना नहीं की है तथा एक मात्र राजस्व रिकोर्ड हाल जमाबंदी को आधार बनाकर उक्त निर्णय खिलाफ कानून जाकर पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। कैम्प कोर्ट के किसी प्रकार के कोई नोटिस अपीलांट/प्रतिवादी को जारी नहीं किये गये थे। अपीलांट की तरफ से नियत अधिवक्ता का नाम दर्ज कर उक्त निर्णय पारित किया गया है तथा उक्त प्रकरण में एक तनकी यह भी थी कि रेस्पो0/वादी ने प्रतिवादीगण को नाजायज एवं परेशान करने की गरज से झूठा वादपत्र पेश किया है विवादित आराजी पर रेस्पो./वादी का कभी कब्जा नही रहा है तथा कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रारम्भिक तौर पर ही खारिज होने योग्य था। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय बिना मौका कब्जा जाँच किये गलत बाजी में पारित किया है, जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। वा[illegible] प्रस[illegible] करने के पश्चात वादी घसीडा की मुत्यु हो जाने के कारण [illegible] 12.01.17 को [illegible]वास्त ऑर्डर 22 रूल 3 सीपीसी सपठित 151 सीपीसी खिलाफ [illegible] की वास्तविक पत्नी केसर थी तथा घसीडा के कोई औलाद नहीं थी, प्रतिवादी राजू बैग0 ने साज कर घसीडा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raiman
Date: 2021.01.14 13:33:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पुत्र बताकर उक्त वादपत्र का गलत रूप से निर्णित कराया क्योकि घसीडा नाऔलाद फौत हुआ, इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि निर्वाचन नामावली पंचायत समिति सर्किल, टोडरा के क्रमांक 378 पर घसीडा की पत्नी का नाम केसर दर्ज है जबकि वादपत्र में घसीडा की पत्नी का नाम भौती दर्शाया है जबकि भौती घुडया की पत्नी रही है। पॉच्या के तीन पुत्र घसीडा, घूडया व गोरधन थे घसीडा के एकमात्र पत्नी केसर देवी थी कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे तथा घुडया की पत्नी भौती देवी व उसके दो पुत्र बाबू व राजू रहे है तथा गोरधन के एक पत्नी केसर तथा पुत्र एक अपीलांट एवं रेस्पो0 नं0 01 लगायत 04 है, तहत न्यायालय ने बिना किसी जॉच के बिना मौका रिपोर्ट लिये उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी खसरा नम्बर 298 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम बलुआपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली जो कि रेस्पो0 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। अपीलांटस का इस आराजी से दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादीगण सहजोर, ताकत एवं लट्ठ वाले व्यक्ति है जो कि गांव के असामाजिक तत्वों को अपने साथ लेकर लाठी के बल पर आराजी से बेदखल कर अवैध कब्जा करने पर आमादा है। दिनांक 02.08.2012 को रेस्पो0 अपनी उक्त आराजी में ट्रेक्टर से जोत निकलवा रहा था तो अचानाक अपीलांटस हाथों में लाठी गंडासी लेकर रेस्पो0 की आराजी पर आ गये और ट्रेक्टर को रोक दिया, रेस्पो0 ने जब उनसे मना किया तो मॉ बहन की फोस फोस गालिया देने लग गये। रेस्पो0 ने अपीलांटस को हाथ जोडकर कहा कि आप ऐसा मत करो लेकिन अपीलांटस ने एक नही सुनी तथा कहने लगे कि हम तेरी जमीन पर अवैध कब्जा करके रहेगें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता तथा रेस्पो0 आमादा फिसाद पर उतारू हो गये। विवादित आराजी से बेदखल कर दिया तो मुझे/रेस्पो0 के हक हकूको पर गहरा आघात एवं अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद संभव नहीं है। इसलिए रेस्पो0 ने अपीलांट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से की गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय विधि सम्मत किया है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:36 IST
Reason: SelfAttested

5. उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के समय पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपील मीमो में कथन किया गया है कि घसीडा ना औलाद फौत हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय में वादी की मृत्यु की मृत्यु पर दिनांक 07.01.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 22, रूल 3, सपठित धारा

Scanned with CamScanner

151 जा.दी. के प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में घसीडा के तीन वारिसान राजू, धौडी व भौती को लिखित किया है। दिनांक 12.01.2017 की आदेशिका में अभिलिखित है कि "प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब वकील प्रतिवादी नहीं देकर प्रार्थना को स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है।" इस प्रकार अपी0/प्रति0 के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है। मृतक घसीडा के वारिसान को रिकोर्ड पर लिया गया है। प्रार्थना पत्र के निस्तारण में पूर्ण अवसर दिया गया है व विधिक अनुरूप निस्तारण किया गया है। मुताबिक नकल जमाबंदी संवत 2073–76 वाके ग्राम वालुआपुरा के खतौनी संख्या 46 खसरा नम्बर 298 राजूलाल पुत्र घसीडा, धौडी पुत्री घसीडा, भौती पत्नी घसीडा कौम बैरवा अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निर्णय तनकीवार विश्लेषण कर विधिपूर्वक किया गया है। इस निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, सपोटरा के मु0नं0 51/2012 निर्णय दिनांक 26.04.2018 को यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.12.20

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner